राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 215/2024

अधोक्षज जोशी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.02.2024
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलेश शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत निलम्बित किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में वर्ष 2020 से सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर, निश्चेतन के पद पर कार्यरत है। पहले वर्ष 2015 से सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वह असिस्टेंट प्रोफेसर, निश्चेतन के पद पर कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2020 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर, निश्चेतन के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 27.06.2020 को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी ने अपनी सेवाएँ ईमानदारी और संतुष्टि के साथ दी हैं और वह प्रत्यर्थी विभाग के सबसे होनहार कर्मचारियों में से एक रहा है, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के डीन और विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रशंसा प्रमाण पत्र अनुलग्नक–3 से स्पष्ट है। बृज भूषण शर्मा, वित्तीय सलाहकार, सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 200/2022 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 व 120बी भारतीय दण्डनीय अपराध के प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा उनकी गिरफ्तारी दिनांक 21.05.2022 से निलम्बित किया गया (अनुलग्नक–4)। एफआईआर में कोई भी अपराध अपीलार्थी के खिलाफ नहीं बनाया गया है और इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी का अपराध से कोई संबंध या

सांठगांठ नहीं है। एसीबी ने दिनांक 20.05.2022 को की गई ट्रैप कार्यवाही के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज की है। उक्त ट्रैप कार्यवाही डॉ. भरत राजपुरोहित द्वारा दायर दिनांक 24.02.2022 की एक लिखित शिकायत के आधार पर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वह वर्तमान में एचसीजी अस्पताल, मानसरोवर में मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, जिनकी रेडिएशन थेरेपी के लिए LINAC मशीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर एसएमएस अस्पताल में लगाई गई थी। उक्त मॉडल के तहत अस्पताल को उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए एचसीजी अस्पताल को नियमित भुगतान करना होगा। दिनांक 20.05.2022 को एसीबी द्वारा बृज भूषण शर्मा एवं अजय शर्मा के विरुद्ध रेड–हैंड ट्रैप कार्यवाही की गई। रिश्वत की रकम बृजभूषण शर्मा के पास से बरामद की गई। इस प्रकार अपीलार्थी की कोई संलिप्तता नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120–बी के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए एक आरोप पत्र संख्या 233/2022 अपीलार्थी के खिलाफ 11.07.2022 (अनुलग्नक–5) को दायर किया गया था। बृज भूषण शर्मा और अजय शर्मा के खिलाफ शिकायत भरत राजपुरोहित ने की थी, इसलिए बृज भूषण शर्मा को उपरोक्त आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अपीलार्थी के अनुसार वह डॉ. भरत राजपुरोहित को जानता है क्योंकि उन्होंने लीनियर एस्केलेटर मशीन लगवाई थी। बृजभूषण शर्मा के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते समय प्राधिकारी ने प्रत्येक पहलू पर विस्तार से विचार किया है (अनुलग्नक–6)। बृज भूषण शर्मा को दिनांक 24.05.2022 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 (7) एससीसी 291 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में उनके लंबे समय तक निलंबन को देखते हुए बृज भूषण शर्मा का निलंबन के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया है (अनुलग्नक–7)। प्रत्यर्थी संख्या–3 के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान किए गए दोनों मापदंडों पर विचार करते हुए अपीलार्थी के निलंबन प्रकरण को समीक्षा के लिए नहीं लेने के लिए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कारण या औचित्य प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के निलंबन की स्थिति पर बिना किसी औचित्य या किसी समीक्षा के इसे बिना किसी कारण के बढ़ा दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 24.05.2022 के खिलाफ अपनी शिकायत के निवारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या 786/2024 दायर की गई, जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 (अनुलग्नक–9) द्वारा माननीय अधिकरण में अपील दायर करने के निर्देश दिए गए।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2022 को अपास्त कर पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 21.05.2022 प्रेषित कर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार अपराध संख्या 200/2022 दर्ज कर दिनांक 21.05.2022 को गिरफ्तार किये जाने की सूचना कार्मिक विभाग को प्रेषित की। अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 200/2022 में प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 21.05.2022 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने के कारण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा गिरफ्तारी की दिनांक 21.05.2022 से निलम्बित किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग को दिनांक 26.05.2022 को अशा.टीप प्रेषित कर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 में निर्धारित प्रकिया अनुसार आरोप विवरण पत्र कार्मिक विभाग को अविलम्ब भिजवाने हेतु लिखा गया। महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 12.07.2022 द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.10.2022 को आरोपित अधिकारी की व्यक्तिगत सुनवाई एवं अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श किया गया। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2023 द्वारा अपीलार्थी के निर्वाह भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि निलम्बन तिथि के 6 माह पश्चात् की तिथि से करने के आदेश जारी किये गये। ब्यूरो से प्राप्त प्रस्ताव का सम्पूर्ण परीक्षण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2023 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई तथा अपीलार्थी का निलम्बन से बहाली का प्रकरण नियमानुसार रिव्यू कमेटी के समक्ष रखा जायेगा। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.05.2022 के द्वारा निलंबित किया गया था तथा अपीलार्थी के निलंबन को करीब दो वर्ष का समय हो चुका है। किसी भी कार्मिक को लंबे समय तक निलंबित रखने के लिए कारण सहित आदेश पारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अजय चौधरी बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक को निलंबन के तीन माह पश्चात निलंबन की अवधि बढाने हेतु पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। लंबे समय तक किसी कार्मिक को निलंबित रखने के कारण अनावश्यक वेतनभार राज्य सरकार पर पडता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध

अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों के मध्यनजर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है। विचारार्थ कि अपीलार्थी के प्रकरण को निलंबन पुनरावलोकन कमैटी के समक्ष निर्णय से एक माह में रखा जावे तथा पुनरावलोकन कमेटी अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करने के सबंध में नये सिरे से विचार करते हुए निर्णय से दो माह में समूचित आदेश पारित करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य